उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या- 53/2018/1362/30-3-18-70जीई/2017

लखनऊ, दिनॉक 16 अप्रैल, 2018

<u>विज्ञप्ति/नियुक्ति</u>

कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री शिखर ओझा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) को नियमित चयनोपरान्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/- (यथासंशोधित सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री शिखर ओझा की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

ह0/-

आराधना शुक्ला,

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-53/2018/1362(1)/30-3-2018, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
4- अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
6- समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)/सम्भागीय परिवहन अधिकारी (द्वारा परिवहन आयुक्त उ0प्र0)।
7- सम्बन्धित अधिकारी ।
8- निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया इस विज्ञप्ति/नियुक्ति को उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए मुद्रित राजपत्र की 25 प्रतियॉ शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9- कार्मिक अनुभाग-1
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in